

०३/०५/२५

पत्रावली पेश की। प्रार्थी एवं विद्यार्थी सं. ८ से १०, १२ तथा विद्यार्थी सं. २ के कक्षा के वकील हुए। प्रार्थी वकील आवेदन में लागू पैरवी नहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने No-Instruction Plead किया। न्यायालय समय में प्रार्थी को आवेदन कार्य लेकिन प्रार्थी एवं उलामी पैरवी हेतु सर्वप्रथम नहीं जाना, परंतु प्रार्थी का आवेदन वकील प्रार्थी द्वारा No-Instruction करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल सुनार द्वारा दाखिल अर्थात् संख्या ८ मध्ये।

महायुक्त कलक्टर
घोहरन

No Instruction
J. M.

